



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 714] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 10, 2019/ अग्रहायण 19, 1941
No. 714] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 10, 2019/AGRAHAYANA 19, 1941

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय आदेश

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 2019

सा.का.नि. 903(अ).—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल (आपूर्ति, वितरण का विनियमन और कदाचारों की रोकथाम) आदेश, 2005 और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:

- (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल (आपूर्ति, वितरण का विनियमन और कदाचारों की रोकथाम) दूसरा संशोधन आदेश, 2019 है।
- (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।
2. मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल (आपूर्ति, वितरण का विनियमन और कदाचारों की रोकथाम) आदेश, 2005 में खंड 3 के पश्चात निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात्:—

“3क हाई स्पीड डीजल की घर-घर सुपुर्दगी के लिए विशेष उपाबंध – (1) इस आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ऐसी तेल कंपनी द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत कोई भी व्यक्ति ऐसी तेल कंपनी से उपभोक्ताओं को घर-घर सुपुर्दगी के जरिए उसकी पुनः बिक्री के प्रयोजन के लिए ही खंड 3 के उपाबंधों के अनुसार सम्यक रूप से प्रमाणित मोबाइल कंटेनर अथवा डिस्पेंसर (वितरक) सहित टैंक ट्रक में हाईस्पीड डीजल खरीद सकेगा:

परंतु उक्त उपाबंधों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए इस आदेश के खंड 7 और 8 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केवल केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ही किया जाएगा।

(2) तेल कंपनी द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत व्यक्ति आपूर्ति स्थल तक आधार पर तेल कंपनी के किसी भी आपूर्ति स्थल से हाई स्पीड डीजल की सुपुर्दगी लेगा और वह आपूर्ति स्थल पर सुपुर्दगी केंद्र से उत्पाद की गुणवत्ता, मात्रा, सुरक्षा और संभालने के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी होगा, और

(3) तेल कंपनी द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत व्यक्ति की यह जिम्मेदारी भी होगी कि वह इस आदेश अथवा उक्त मोबाइल कंटेनर अथवा डिस्पेंसर (वितरक) टैंक ट्रक के प्रचालन हेतु केंद्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा जारी किसी अन्य आदेश अथवा विनियमन के अधीन यथा अपेक्षित सभी अनुमोदन अथवा अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करे।"

स्पष्टीकरण – इस खंड के प्रयोजन के लिए 'व्यक्ति' में कोई कंपनी अथवा संगम अथवा व्यक्तियों का निकाय, निगमित हुआ हो या नहीं हुआ हो, आदि सम्मिलित होंगे।

[फा. सं. पी-11013/1/2015-वितरण]

आशीष चटर्जी, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 729 (अ) तारीख 19 दिसंबर, 2005 में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात संख्या सा.का.नि. 18(अ) तारीख 12 जनवरी, 2007, सा.का.नि. 1(अ) तारीख 31 दिसंबर, 2008, सा.का.नि. 352(अ) तारीख 06 मई, 2014, सा.का.नि. 621(अ) तारीख 10 अगस्त, 2015, सा.का.नि. 728(अ) तारीख 29 जून, 2017 तथा सा.का.नि. 830(अ) तारीख 8 नवंबर, 2019 द्वारा संशोधित किए गए।

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

ORDER

New Delhi, the 10th December, 2019

G.S.R. 903(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order to further amend the Motor Spirit and High Speed Diesel (Regulation of Supply, Distribution and Prevention of Malpractices) Order, 2005, namely—

1. (1) This Order may be called the Motor Spirit and High Speed Diesel (Regulation of Supply, Distribution and Prevention of Malpractices) Second Amendment Order, 2019.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Motor Spirit and High Speed Diesel (Regulation of Supply, Distribution and Prevention of Malpractices) Order, 2005, after clause 3, the following clause shall be inserted, namely: —

“3A. Special provision for door-to-door delivery of high speed diesel.—(1). Notwithstanding anything contrary contained in this Order, any person duly authorised by an oil company may purchase high speed diesel from such oil company, in a mobile container or tank-truck with dispenser duly certified as per the provisions of clause 3, only for the purpose of reselling of the same by way of door to door delivery to the consumers:

Provided that for securing compliance with the aforesaid provisions, the powers conferred under clauses 7 and 8 of this Order shall be exercised only by an authorized officer of the Central Government or State Government.

(2) The person duly authorised by the oil company shall take delivery of high speed diesel from any supply location of the oil company on ex-supply location basis and he shall be solely responsible for the quality, quantity, safety and handling of the product from the point of delivery at supply location; and

(3) It shall also be the responsibility of the person duly authorised by the oil company to obtain all approvals or licences as required under this Order or any other order or regulation made by the Central Government or any State Government for operation of the said mobile container or tank-truck with dispenser.”

Explanation—For the purpose of this clause, “person” shall include any company or association or body of individuals, whether incorporate or not.

[F. No. P-11013/1/2015-Dist.]

ASHISH CHATTERJEE, Jt. Secy.

Note : The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) *vide* number G.S.R. 729(E), dated the 19th December, 2005 and subsequently amended *vide* number G.S.R. 18(E), dated the 12th January, 2007, G.S.R. 1(E), dated the 31st December, 2008, G.S.R. 352(E), dated the 6th May, 2014, G.S.R. 621(E), dated the 10th August, 2015, G.S.R. 728(E), dated the 29th June, 2017, and G.S.R. 830(E) dated the 8th November, 2019.